



छत्तीसगढ़ विधान सभा
षष्ठम् विधान सभा - सप्तम् सत्र
(दिनांक 18 नवम्बर, 2025 से 17 दिसम्बर, 2025 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	36 दिन
बैठकों की संख्या	05
प्रश्नों पर चर्चा	01 घंटे 40 मिनट
प्रथम अनुपूरक	06 घंटे 35 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	35 घंटे 23 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	628
तारांकित प्रश्न	333
अतारांकित प्रश्न	295
ग्राह्य तारांकित	299
ग्राह्य अतारांकित	268
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	567
सदन में उत्तरित	11

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	04
सदन में पारित	04

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	101
अग्राह्य	101

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	232
ग्राह्य	70
अग्राह्य	142
शून्यकाल में परिवर्तित	20
सदन में चर्चा	04
व्यपगत	02

नियम 139 की सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	01
अग्राह्य	01

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	69
ग्राह्य	08
अग्राह्य	41
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	20

विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचना	01
अग्राह्य	01

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	09
ग्राह्य	04
अग्राह्य	05

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	195
ग्राह्य	36

अग्राह्य	59
सदन में प्रस्तुत	36
विचाराधीन	100

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, विचार तथा पारण

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	10
पटल पर रखे गये	10

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	15
पटल पर रखे गये	15

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्य मंत्रणा समिति	01
2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	01
3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	14
4. लोक लेखा समिति	33
5. याचिका समिति	02

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

- (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 05 (वाणिज्यक)।

- (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 06 ।

अन्य

- (1) छत्तीसगढ़ विधान सभा के पच्चीस वर्षों की संसदीय यात्रा पर केन्द्रित विषयों पर चर्चा.
- (2) छत्तीसगढ़ विज़न 2047 पर चर्चा.
- (3) राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा.

पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	दिनांक 18 नवम्बर से 17 दिसम्बर, 2025 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों को कुल 150 पृष्ठ पुस्तकालय साहित्य की छायाप्रति प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में दिनांक 18 नवम्बर से 17 दिसम्बर, 2025 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाईट पर सत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। ई-विधान पोर्टल पर वर्तमान सत्र में भी सभा में प्रस्तुत होने वाले साहित्य को प्रतिदिन उपलब्ध कराया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा हेतु तैयार किए गए मोबाइल एप में भी संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी गयी।
छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश	प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 890, प्रतिष्ठित दीर्घा के 1725 एवं दर्शक दीर्घा के 1000 प्रवेश पत्र जारी किये गये।
छत्तीसगढ़ विधान सभा का अमणि/कार्यवाही का अवलोकन	छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थान के 84 छात्र-छात्राओं/शिक्षकों ने कार्यवाही का अवलोकन/परिसर का अमणि किया।